

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

E-Mail:- r.mes@rajasthan.gov.in contact no..-0141-2601727



No. :-एफ.15(07) डी.एम.ई/एके./2018/

दिनांक:-

आदेश

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में अकादमिक सत्र 2021-22 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए राजकीय, मैनेजमेंट एवं एनआरआई सीटों की फीस निम्नानुसार की जाती है :-

1. चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1), विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)एम.ई/ग्रुप-1/2015 दिनांक 18.04.2017 के क्रम में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में ट्यूशन फीस राजकीय सीटों की 57,900 रुपये तथा मैनेजमेंट सीटों की फीस 7,87,500 रुपये निर्धारित की जाती है।
2. चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1), विभाग के आदेश क्रमांक प.7(11)राजमेस/एकेड/एमबीबीएस/फीस/2018 दिनांक 10.09.2020 के क्रम में राजमेस द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में एनआरआई कोटे की सीटों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 की सेमेस्टर अनुसार फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

|  |  |
|--|--|
| शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ होनेवाले बैच से प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की राशि                                 | 31,500 USD<br>(प्रवेश के समय)                            |
| शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ होने वाले बैच में तीसरे सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक शेष रहे 7 सेमेस्टर्स की राशि | 15,750 USD प्रति सेमेस्टर<br>(सेमेस्टर प्रारम्भ होने पर) |

नोट:-

1. अन्य शर्तें पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।
2. यह आदेश केवल सत्र 2021-22 में प्रवेश लेने वाले बैच के लिए प्रभावी होगा।
3. यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किया गया है।

sd -

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा  
एवं निदेशक, राजमेस

दिनांक:- 23.12.2021

No. :-एफ.15(07) डी.एम.ई/एके./2018/ 4597

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष राजमेस जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना/बजट/विभाग, जयपुर।
4. अति. निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन शासन उप सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) जयपुर।
6. अति निदेशक (प्रशासन/शैक्षणिक) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, नवीन मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस।
10. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा  
एवं निदेशक, राजमेस

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

E-Mail:- r.mes@rajasthan.gov.in contact no..-0141-2601727



No. :- एफ.15(07) डी.एम.ई/एके./2018/

दिनांक -

**आदेश**

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1), विभाग के आदेश क्रमांक 707 दिनांक 05.06.2018 के क्रम में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) के अतिरिक्त, अन्य प्रकार की फीस/चार्ज का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

| S.No. | Fee/charge  | Frequency           | 2021-22 |
|-------|---|---------------------|---------|
|       | <b>Academic fee/charges except tuition fee</b>    |                     |         |
| 1     | Admission fee                                     | Only once           | 16100   |
| 2     | Sports & Academic Fund                            | Every year          | 13400   |
| 3     | Non Refundable Security/Caution Money             | Once-Non Refundable | 6800    |
|       | <b>Boarding and loading charges</b>               |                     |         |
| 1     | Hostel Fee/Accommodation Charges (Single Seated)  | Every Year          | 26700   |
| 2     | Hostel Fee/ Accommodation Charges (Double Seated) | Every Year          | 21400   |
| 3     | Hostel Fee/Accommodation Charges (Triple Seated)  | Every Year          | 17400   |
| 4     | Electricity & water charges                       | Every Year          | 9400    |
| 5     | Infrastructure Development & Welfare fund         | Every Year          | 6800    |
| 6     | Non Refundable Security                           | Only once           | 4100    |

राजमेस के अधिन संचालित मेडिकल कॉलेजों में आदेश क्रमांक एफ 15(7) डीएमई/एके./2018/2276 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा एनआरआई छात्रों से अतिरिक्त सुविधाओं बाबत निर्धारित राशि 50,000 रुपये वार्षिक वसूल की जा रही है, जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए भी यथावत् रहेगी। स्वतंत्र आदेश अन्य छात्रों जो अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं के लिए भी लागू किया जाता है।

नोट:-

1. अन्य शर्तें पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।
2. यह बढोतरी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सभी बैचों के लिए (पुराने एवं नये) के लिए प्रभावी होगी।
3. यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किया गया है।

sd -

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

एवं निदेशक, राजमेस

दिनांक:- 23.12.2021

No. :- एफ.15(07) डी.एम.ई/एके./2018/4598

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष राजमेस जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना/बजट/विभाग, जयपुर।
4. अति. निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन शासन उप सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) जयपुर।
6. अति निदेशक (प्रशासन/शैक्षणिक) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, नवीन मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस।
10. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा  
एवं निदेशक, राजमेस